31/10/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खाता सं0 12 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी नाम मोतीलाल के स्थान पर बोलता नाम ओमप्रकाश सहवन गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावें। वादीगण ने वादपत्र के साथ प्रमाण पत्र सरपंच, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें वादी का नाम मोतीलाल अंकित है। व वादी की अन्य भूमियों में नाम दुरुस्ती का निर्णय वाद सं0 70/21 मोतीलाल बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय 15.03.2021 की प्रति प्रस्तुत की है। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के तथा गवाहान श्रीराम पुत्र श्री बालुराम सैनी जाति माली निवासी शिवनगर नीमकाथाना के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम ओमप्रकाश सहवन से गलत दर्ज है जबकि वाद का सही नाम मोतीलाल है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सरपंच, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि की प्रतियों से होती है। वादीगण के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में

(बृजेश कुमार
उपखण्ड अधि...
नीमकाथाना (सी...

बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी स्थित भूमि खाता सं0 12 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार **ओमप्रकाश पुत्र सुरजा** के स्थान पर **मोतीलाल पुत्र सुरजा** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)